

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
-------------	----------------------------------

15<sup>05</sup>  
24

पत्रावली घेरा हुई। कुलाय उप।  
 मूल प्रार्थना पत्र <sup>धारा 173RPA</sup> स्वीकार किया जा चुका है जिससे  
 उक्त T.I प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जात  
 है। अतः उक्त T.I प्रार्थना का कोई औचित्य नहीं  
 होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार  
 होत्र नम्बर से कम है।



3

सहायक क्लर्क एवं पदेन  
 उपखण्ड अधिकारी, बाली